स्वच्छता पर तीसरे दक्षिण एशियाई सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन

नई दिल्ली, दिनांक 18.11.2008

स्वच्छता पर तीसरे एशियाई सम्मेलन में आज शामिल होने पर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस सम्मेलन की अत्यधिक महत्ता इसलिए भी है कि वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया है।

स्वच्छता का न सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान से बल्कि मानवीय प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, जन-स्वास्थ्य, पोषण और यहां तक की शिक्षा से भी गहरा संबंध है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था- स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सफाई और स्वच्छता को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाया। उनका सपना सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता का था।

दक्षिण एशिया के खासतौर पर हमारे क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाओं को प्रदान करने का पिछला रिकार्ड बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा है। स्वच्छता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की एक तथ्य पत्र के अनुसार करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग जिनमें एक करोड़ बच्चे शामिल हैं, प्रभावी स्वच्छता सुविधाओं की कमी होने से परिहार्य बाल मृत्यु का शिकार होते हैं। हमारे क्षेत्र में, करीब, एक करोड़ लोग प्रभावी स्वच्छता सेवाओं से रहित हैं। यह एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमारे सातों देशों में से प्रत्येक को सभी तरह के प्रयास करने की जरूरत है।

मैं प्रसन्न हूं कि कार्यों में बदलाव हो रहा है और यह बदलाव हमारे भले के लिए है। हाल के वर्षों में, दक्षिण एशिया के सभी देश प्राथमिक विकास निवेश में स्वच्छता लाने पर कार्य कर रहे हैं। यह हमारा औपचारिक दायित्व है कि दक्षिण एशिया के प्रत्येक नागरिक की पहुंच स्वच्छ शौचालय तक हो।

भारत में, हमने इस विस्तृत क्षेत्र में अतीत की कमियों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की है। पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता निवेश में 6 गुना वृद्धि की है और मैं अपने सहयोगी डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह को, इस अनिवार्य कार्यक्रम के प्रति समर्पण भाव के साथ जुड़ने पर शुभकामनाएं देता हूं।

ग्रामीण स्वच्छता के लिए किए गए भारतीय प्रयासों में बड़ा बदलाव तब आया जब हमने स्वच्छता के लिए स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता का उपयोग करना प्रारंभ किया। संपूर्ण स्वच्छता के लिए हमारे अभियान में प्रेरणादायक निर्मल ग्राम पुरस्कार अथवा स्वच्छ ग्राम पुरस्कार ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे हमारे ग्रामों में, सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता के तौर पर चलाया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार को जीतने के लिए पंचायतें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हें्। हाल ही के वर्षों में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई शुरूआतों के अंतर्गत यह नागरिक समाज संसाधनों के उपयोग का एक बहुत शानदार उदाहरण है।

मैं आपके विचारार्थ कुछ आम मुद्दे रखना चाहता हूं।

पहला, स्वच्छता मुद्दों को हमारी विकासगत नीतियों में प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। इसकी मुख्य समस्याओं पर गहरे अध्ययन और अधिक सूझबूझ की जरूरत है। पुरानी आदतों को बदलने में समुदाय नेतृत्व की भूमिका और सोचने के तरीके ज्यादा जटिल होंगे जैसा कि हमारा अपना अनुभव बताता है। सामाजिक और आर्थिक दोनों पक्षों से इन मुद्दों को सुलझाने के लिए हमारे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं में वृद्धि किए जाने की जरूरत है।

दूसरा, स्वच्छता को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के एकीकृत ढांचे में रखना होगा, ताकि स्वच्छता गतिविधियों के लिए पर्याप्त कोष को सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि कुछ बातें बहुत आसान हैं जैसे सही तरीके से हाथ धोने पर हमारे देश में हैजा के 50 प्रतिशत मामलों को रोका जा सकता है। सुरक्षित पेयजल प्रावधान भी पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने में काफी मदद कर सकता है। इसी प्रकार से रिहाइश के पास शौचालयों का होना हमारी महिलाओं को बहुत-सी पेट से जुड़ी बीमारियों से बचा सकता है। इसलिए, स्वास्थ्य विज्ञान जागरूकता और स्वच्छता के लिए एक सर्वव्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में निवेश हेतु जागरूकता से प्रयास करने होंगे।

तीसरा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। हमें विभिन्न पारिस्थितिकी-तंत्रों के लिए स्वच्छता तकनीकों को विकसित करने की जरूरत है। जो पहले मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास ने संभव कर दिया है कि चिरकालिक गरीबी और खराब स्वास्थ्य अब अधिकांश मानव जाति में अपरिहार्य नहीं रह गया है। नई

प्रौद्योगिकी को वहनीय और दीर्घकालीन बनाने की जरूरत है। यह एक तकनीकी चुनौती है जिसका सामना हमें आधुनिक विज्ञान और परंपरागत बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करते हुए करना चाहिए। हम जानते हैं कि पीआईआर स्थान कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले शौचालयों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। हम यह भी जानते हैं कि जल के इस्तेमाल सहित अल्प संसाधनों के आदर्श इस्तेमाल के लिए हमारे गांवों में पारंपरिक जल प्रणालियों का उपयोग किया गया है। इसलिए, हमें अपनी अगली पीढ़ी तक स्वच्छता प्रौद्योगियों को ले जाने के लिए वैज्ञानिक दक्षता का उपयोग करना चाहिए।

चौथे, हमें दीर्घकालीनता के मुद्दे से निबटने की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में बनने वाले 20 प्रतिशत शौचालय कमजोर निर्माण से लेकर पर्याप्त रखरखाव की कमी के कारण उपयोग के योग्य नहीं है। इसलिए, हमें स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और रख-रखाव के लिए एक स्थानीय क्षमता निकाय को बनाने की जरूरत है।

हम, कुछ समय से बेयरफूट इंजीनियर्स कार्यक्रम की वकालत कर रहे हैं जहां ग्रामीण युवकों को कृषि पम्पसैट, हैंडपम्प, ग्रामीण आवासीय बिजली कनेक्शन, कृषि औजार और सफाई सुविधाओं की मरम्मत करने के लिए बहुस्तरीय इंजीनियरिंग दक्षता में प्रशिक्षित किए जाएं। हमारे देश में, हमने दक्षता विकास के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि हम इस राष्ट्रीय योजना में बेयरफूट इंजीनियर्स के समेकित प्रशिक्षण में समर्थ होंगे।

दक्षिण एशिया के अन्य देशों को अपने अनुभव बांटकर तथा ग्रामीण स्वच्छता की समस्याओं से निपटने में उनके अनुभव से सीखने तथा लाभ उठाने में हमें बेहद खुशी होगी।

हमें मानव अपशिष्ट को पुनर्चक्रित होने वाले संसाधनों के रूप में देखना चाहिए तथा उसे पुनः इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यह हमारी भूमि या पानी को संदूषित न करे। तेजी से शहरीकरण की हमारी आदतों के लिए यह विशेष चुनौती है। हमारा शहरीकरण और औद्योगिकीकरण जितना अधिक होगा, इस चुनौती का महत्व उतना ही बढ़ेगा तथा जितना जल्दी हम इससे निपटने के लिए तैयार हो जाएं सबके लिए वह उतना ही बेहतर होगा।

मुझे खुशी है कि आपके सम्मेलन का एक प्रमुख विषय शौचालयों से परे स्वच्छता है। हमें नूतन और आय सृजन योजनाओं के जरिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के नए मॉडलों की तलाश करनी चाहिए।

मुझे बेहद खुशी है कि दक्षिण एशिया की सरकारें उन मुद्दों पर सहयोग कर रही हैं जो हमारे लाखों लोगों के लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं। सम्मेलन को अपने मुख्य विषय सम्मान और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता पर कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय कार्य सूची तैयार करनी चाहिए। आइए संपूर्ण स्वच्छता के लिए गांधीजी के स्वप्न को मिलकर साकार करें तथा दक्षिण एशिया के सभी नागरिकों के लिए सम्मान और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करें। अच्छी स्वच्छता दक्षिण एशिया के प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। इन शब्दों के द्वारा मैं एक बार फिर दक्षिण एशिया के अन्य देशों से आए मंत्रियों और प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। मैं आपकी चर्चा की सफलता की कामना करता हूं ।